रजिस्ट्री सं० डी 221

REGISTERED NO. D-221

National Council for Teacher Education
LIBRARY

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—खण्ड 1क

PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996/4 श्रावण, 1918 (शक) [खंड XXXII
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1996/Sravana 4, 1918 (Saka) [Vol. XXXII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996/श्रावण 4, 1918 (शक)

दि इन्डो-तिब्बतन बोर्डर पुलिस फोर्स ऐक्ट, 1992; (2) दि पब्लिक रिकार्डस ऐक्ट, 1993; (3) दि नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन ऐक्ट, 1993; (4) दि रेलवेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994; (5) दि मोटर व्हीक्लस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994; (6) दि केबल टेलीविजनट नेटवर्कस (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995; (7) दि एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउन्ट) ऐक्ट, 1995; (8) दि बिहार एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउन्ट) ऐक्ट, 1995 और (9) दि एप्रोप्रिएशन (नं० 2) ऐक्ट, 1995 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, July 26, 1996/Sravana 4, 1918 (Saka)

The following translations in Hindi of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992, (2) The Public Records Act, 1993; (3) The National Council for Teachers Education Act, 1993; (4) The Railways (Amendment) Act, 1994; (5) The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994; (6) The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995; (7) The Appropriation (Vote on Account) Act, 1995; (8) The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1995; and (9) The Appropriation (No. 2) Act, 1995 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

पृष्ठ

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 . . 107
The Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992)

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 . . . 159
The Public Records Act, 1993 (69 of 1993)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 . . . 167 — 183
The National Council for Teachers Education Act, 1993 (73 of 1993)

रेल (संशोधन) अधिनियम, 1994 . . . 185
The Railways (Amendment) Act, 1994 (28 of 1994)

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 . . . 189
The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994 (54 of 1994)

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 . 211
The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995)

विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 . . . 219
The Appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (12 of 1995)

बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 . . . 227
The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (16 of 1995)

विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1995 . . . 231
The Appropriation (No. 2) Act, 1995 (23 of 1995)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 73)

[29 दिसम्बर, 1993]

सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करने तथा अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरमानों का विनियमन और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "परिषद्" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "परीक्षा निकाय" से ऐसा कोई विश्वविद्यालय, अभिकरण या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिससे अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं के संचालन के लिए कोई संस्था सहबद्ध है ;

(ङ) "संस्था" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है ;

(च) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ;

(छ) "सदस्य सचिव" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से धारा 31 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से धारा 14 के अधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) "प्रादेशिक समिति" से धारा 20 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है ;

(ट) "विनियम" से धारा 32 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(ठ) "अध्यापक शिक्षा" से विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापन करने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान या प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा है ;

(ड) "अध्यापक शिक्षा अर्हता" से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय द्वारा प्रदत्त अध्यापक शिक्षा में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ढ) "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था है जो उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय है ; 1956 का 3

(ण) "उपाध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

परिषद् की स्थापना

परिषद् की स्थापना ।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी ।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रा होगी और उसे संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।

(4) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) सदस्य-सचिव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;

1956 का 3

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, पदेन;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, पदेन ;

(ज) सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, पदेन ;

(झ) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;

(ञ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का वित्त सलाहकार, पदेन ;

का 3

(ट) सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् पदेन ;

(ठ) सभी प्रादेशिक समितियों के अध्यक्ष, पदेन ;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे तेरह व्यक्ति, जिनके पास शिक्षा या अध्यापन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान है, निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाएंगे :—

(i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के अध्यक्ष और शिक्षा के आचार्य — चार ;

(ii) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ — एक ;

(iii) पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ — तीन ;

(iv) अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में विशेषज्ञ — दो ;

(v) विहित रीति में चक्रानुक्रम से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ — तीन ;

IndiaCode

(ढ) नौ सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किए जाएंगे;

(ण) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से एक सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा और दो सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(त) तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों में से नियुक्त किए जाएंगे ।

(5) यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव पूर्णकालिक आधार पर पद धारण करेंगे ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की पदावधि चार-चार वर्ष या साठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी ।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(4) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) से (ठ) तक तथा खंड (ढ) और खंड (ण) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो तत्समय उस रूप में पद धारण करने वाला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और जब तक कि इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, वह अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार कार्य करना है, पदावधि के शेष भाग के लिए धारण करेगा ।

(6) यदि उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति नई नियुक्ति करके भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्ति किया गया व्यक्ति उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की इस प्रकार नियुक्ति हुई है, पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा ।

(7) अध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं ।

(8) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं ।

सदस्य के पद के लिए निरर्हता ।

5. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा, यदि वह:—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

सदस्य के पद में रिक्ति ।

6. केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को हटा देगी, यदि वह,—

(क) धारा 5 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है:

परन्तु कोई भी सदस्य इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि वह उस धारा के खंड (ङ) में वर्णित निरर्हता के अधीन हो गया है, जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो; या

(ख) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ग) परिषद् से अनुपस्थित होने की इजाजत लिए बिना परिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है; या

(घ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर है:

परन्तु इस खंड के अधीन कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

परिषद् के अधिवेशन ।

7. (1) परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर होगा और वह उसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जिन्हें विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए:

परन्तु परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगा ।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो परिषद् के किसी अधिवेशन में उठते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उस मत का प्रयोग करेगा ।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

8. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि :—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

सहयोजित करने की शक्ति ।

9. (1) परिषद्, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के उपबंधों से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा सहयोजित व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

10. (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विनियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं अधीन रहते हुए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार में समूह "क" पदों के समतुल्य पदों का प्रवर्ग, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

11. परिषद् के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और परिषद् द्वारा निकाली गई ऐसी सभी लिखतें परिषद् के सदस्य-सचिव के या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त वैसी ही रीति से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी ।

अध्याय 3

परिषद् के कृत्य

परिषद् के कृत्य ।

12. परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो वह अध्यापक शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा अध्यापक शिक्षा के स्तरमानों के अवधारण और उनको बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् :—

(क) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगी तथा उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी ;

(ख) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सिफारिशें कर सकेगी;

(ग) देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और उसको मानिटर कर सकेगी ;

(घ) विद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापक के रूप में नियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी;

(ङ) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए मानक, जिसके अन्तर्गत उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और अभ्यर्थियों के चयन की पद्धति पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और पाठ्यक्रम का ढंग है, अधिकथित कर सकेगी;

(च) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए, तथा शारीरिक और शिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टाफ़ पैटर्न, कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी;

(छ) अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की स्कीमों के संबंध में स्तरमान अधिकथित कर सकेगी;

(ज) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन-फीस और अन्य फ़ीसों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी;

(झ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव परिवर्तन और अनुसंधान का संवर्धन और संचालन कर सकेगी तथा उसके परिणामों का प्रसार कर सकेगी;

(ञ) परिषद् द्वारा अधिकथित मानकों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और स्तरमानों के क्रियान्वयन की कालिकतः परीक्षा और पुनर्विलोकन कर सकेगी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त रूप में सलाह दे सकेगी;

(ट) मान्यताप्राप्त संस्थाओं को जवाबदार बनाने के लिए उपयुक्त कार्य निष्पादन, मूल्यांकन पद्धति, मानक और क्रियाविधि विकसित कर सकेगी;

(ठ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें बना सकेगी और अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगा सकेगी और नई संस्थाएं स्थापित कर सकेगी;

(ड) अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण की रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी; और

(ढ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

निरीक्षण ।

13. (1) परिषद् इस बात को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या संस्थाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कृत्य कर रही हैं किसी ऐसी संस्था का ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निरीक्षण करा सकेगी ।

(2) परिषद्, संस्था को वह तारीख संसूचित करेगी जिसको उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण किया जाना है और संस्था निरीक्षण से ऐसी रीति से सहयुक्त किए जाने की हकदार होगी जो विहित की जाए ।

(3) परिषद्, संस्था को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में अपने विचार संसूचित करेगी और उस संस्था की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् उस संस्था को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेगी ।

(4) इस धारा के अधीन संस्था को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं उसके कार्यपालक प्राधिकारी को दी जाएंगी और संस्था का कार्यपालक प्राधिकारी परिषद् को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा जिसे किसी ऐसी सिफारिश को, जो उपधारा (13) में निर्दिष्ट है, क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, किए जाने की प्रस्थापना की गई है ।

अध्याय 4

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली संस्थाओं की मान्यता ।

14. (1) नियत दिन को या उसके पश्चात् अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली या प्रस्थापित करने का आशय रखने वाली प्रत्येक संस्था, इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी जाने के लिए संबद्ध प्रादेशिक समिति को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, आवेदन करेगी :

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था छह मास की अवधि के लिए और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर मान्यता के लिए आवेदन किया है तो प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चालू रखने की हकदार होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर और संबंधित संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात् वह—

(क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, अर्हित कर्मचारि-वृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्था के उचित कार्य-करण के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी संस्था को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, मान्यता देने वाला आदेश पारित करेगी ; या

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को मान्यता नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी :

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था को मान्यता मंजूर करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी संस्था को और संबंधित परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा ।

(5) ऐसी प्रत्येक संस्था, जिसकी बाबत मान्यता नामंजूर कर दी गई है, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन पारित मान्यता नामंजूर करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण बंद कर देगी ।

(6) प्रत्येक परीक्षा निकाय, उपधारा (4) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर :—

(क) जहां मान्यता मंजूर कर दी गई है वहां संस्था को संबद्ध किया जाना मंजूर करेगी; या

(ख) जहां मान्यता नामंजूर कर दी गई है वहां संस्था को संबद्ध किया जाना रद्द कर देगी ।

मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की अनुज्ञा ।

15. (1) जहां कोई मान्यताप्राप्त संस्था अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आशय रखती है, वहां उसकी अनुज्ञा के लिए संबंधित प्रादेशिक समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ सदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से आवेदन की प्राप्ति पर और मान्यताप्राप्त संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात्, प्रादेशिक समिति,—

(क) यदि उसका, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, अर्हित कर्मचारिवृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में ऐसे नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के समुचित संचालन के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, अनुज्ञा मंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी; या

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी :

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था को अनुज्ञा मंजूर करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को और संबद्ध परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा ।

परिषद् द्वारा मान्यता या अनुज्ञा के पश्चात् सहबद्धक निकाय द्वारा सहबद्ध किया जाना मंजूर करना ।

16. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई परीक्षा निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात् तब तक,—

(क) किसी संस्था को अनंतिम या अन्यथा, सहबद्ध किया जाना मंजूर नहीं करेगा ; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए, अनंतिम या अन्यथा, परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के अधीन संबंधित प्रादेशिक समिति से मान्यता या धारा 15 के अधीन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण के लिए अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो ।

अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और उसके परिणाम ।

17. (1) जहां प्रादेशिक समिति का, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या निकाले गए आदेशों का या किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता दी गई थी या धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई थी, उल्लंघन किया है, वहां वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मान्यतप्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकेगी :

परन्तु किसी मान्यताप्राप्त संस्था के विरुद्ध कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि प्रादेशिक समिति द्वारा पारित मान्यता वापस लेने वाला या इंकार करने वाला आदेश, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से ही प्रवृत्त होगा ।

(2) प्रादेशिक समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति,—

(क) संबंधित मान्यताप्राप्त संस्था को भेजी जाएगी और उसके साथ ही उसकी एक प्रति सहबद्धता रद्द करने के लिए उस विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय को भेजी जाएगी जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध की गई थी; और

(ख) वह आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता एक बार वापस ले ली जाती है तो ऐसी संस्था, अध्यापक शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को बन्द कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के अनुसार संस्था की सहबद्धता को, उक्त आदेश की संसूचना की तारीख के ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से रद्द कर देगा ।

(4) यदि कोई संस्था उपधारा (1) के अधीन मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है तो, या जहां अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था नियत दिन के ठीक पूर्व अधिनियम के अधीन मान्यता या अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल हो जाती है या उपेक्षा बरतती है वहां, ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के अनुसरण में या ऐसी संस्था में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण करने के पश्चात् प्राप्त अध्यापक शिक्षा में अर्हता को, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षा निकाय में नियोजन के प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य अर्हता नहीं मानी जाएगी ।

अपील ।

18. (1) अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन निकाले गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, परिषद् को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील उस दशा में ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है :

परन्तु विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस दशा में ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, परिषद् का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विहित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(4) अपील को निपटाने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए :

परन्तु अपील को नामंजूर करने से पहले अपीलार्थी को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(5) परिषद् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसको उलट सकेगी ।

अध्याय 5

परिषद् के निकाय

कार्यकारिणी समिति ।

19. (1) परिषद्, कार्यकारिणी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का ऐसे कृत्यों का निर्वहन के लिए गठन करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सदस्य-सचिव ;

(घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;

(ङ) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;

(छ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग में वित्त सलाहकार, पदेन ;

(ज) अध्यापक शिक्षा में चार विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(झ) चार राज्य प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे, जो विहित की जाए ;

(ञ) प्रादेशिक समितियों के अध्यक्ष ।

(3) परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव, कार्यकारिणी समिति के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

(4) परिषद् का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(5) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति वह होगी, जो विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

(6) कार्यकारिणी समिति, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, दो से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और सलाह की वह कार्यकारिणी समिति को सौंपे गए कृत्यों में से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी :

परन्तु किसी प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा सहयोजित व्यक्तियों को, उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वे किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होंगे ।

(7) परिषद्, यदि आवश्यक समझती है तो, ऐसी अन्य समितियों की ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थापना कर सकेगी।

प्रादेशिक समितियां।

20. (1) परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रादेशिक समितियां स्थापित करेगी, अर्थात् :—

(i) पूर्वी प्रादेशिक समिति ;

(ii) पश्चिमी प्रादेशिक समिति ; और

(iii) उत्तरी प्रादेशिक समिति ; और

(iv) दक्षिणी प्रादेशिक समिति।

(2) परिषद् यदि आवश्यक समझती है तो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अन्य प्रादेशिक समितियां जो वह ठीक समझे, स्थापित कर सकेगी।

(3) प्रादेशिक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य ;

(ख) प्रदेश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि, जिनका नामनिर्देशन संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) उतनी संख्या में ऐसे व्यक्ति, जिनके पास अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जितने विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(4) परिषद्, संबंधित प्रादेशिक समिति के सदस्यों में से एक का, उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कृत्य करने के लिए, नामनिर्देशन करेगी।

(5) खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और ऐसे सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(6) प्रादेशिक समिति, धारा 14, धारा 15 और धारा 17 के अधीन अपने कृत्यों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(7) किसी प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी प्रादेशिक अधिकारिता और उसके सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

प्रादेशिक समिति को समाप्त करने की शक्ति।

21. (1) यदि परिषद् की यह राय है कि प्रादेशिक समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम में उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में जानबूझकर अथवा पर्याप्त हेतुक के बिना असफल हो गई है तो परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रादेशिक समिति को तत्काल समाप्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्रादेशिक समिति के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, समाप्ति की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ; और

(ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, उस अवधि के दौरान जब उसके सदस्यों की पदावधि समाप्त कर दी गई है, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें परिषद् निर्दिष्ट करे ।

(3) परिषद्, उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, धारा 20 की उपधारा (3) में उपबंधित रीति से प्रादेशिक समिति का पुनर्गठन कर सकेगी :

परन्तु परिषद्, पुनर्गठित प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी जो ऐसी प्रादेशिक समिति का सदस्य था जिसे समाप्त कर दिया गया था ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

परिषद् को संदाय

22. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा, सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए ।

परिषद् की निधि ।

23. (1) परिषद् की अपनी निधि होगी और वे सभी धनराशियां, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त की जाएं तथा परिषद् की सभी प्राप्तियां, जिनके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसे भारत में या विदेश में कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति परिषद् को संदत्त करे, उस निधि में जमा की जाएंगी और परिषद् द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे ।

(2) निधि की सभी रकमें, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएंगी, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी राशियां व्यय कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां परिषद् की निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

परिषद् का बजट ।

24. परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

25. परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी तथा वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

26. (1) परिषद्, ऐसी लेखा बहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित करे ।

(2) परिषद्, अपने वार्षिक लेखाओं को बन्द करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे प्ररूप में लेखा विवरण तैयार करेगी और उसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसी तारीख तक भेजेगी, जो केन्द्रीय सरकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अवधारित करे ।

15—

(3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, की जाएगी ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उसके संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

कीर्ण

शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन ।

27. परिषद्, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, (सिवाय धारा 32 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

28. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों या परिषद् या ऐसी समितियों के किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी या उस सरकार या परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश ।

29. (1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगी जो केन्द्रीय सरकार, उसे समय-समय पर, लिखित रूप में दे ।

(2) इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

परिषद् को अतिष्ठित करने की शक्ति ।

30. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर अथवा पर्याप्त हेतुक के बिना असफल हो गई है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिषद् को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन अधिसूचना निकालने के पूर्व, परिषद् को यह हेतुक दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई है, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) परिषद् के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, अतिष्ठिति काल के दौरान, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ;

(ग) परिषद् में निहित सब संपत्ति, अतिष्ठिति काल के दौरान केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल की समाप्ति पर,—

(क) अतिष्ठिति काल को ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगी जो, वह आवश्यक समझे ; या

(ख) धारा 3 में उपबंधित रीति से परिषद् का पुनर्गठन कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार को धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के उपखण्ड (V) के अधीन, परिषद् के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना है ;

(ख) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (द) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परिषद् में सदस्यों की नियुक्ति करेगी ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की और उसकी उपधारा (4) के अधीन सदस्यों की सेवा की शर्तें ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाना है और वह रीति, जिससे संस्था की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसे निरीक्षण में सहयोजित किया जाना है ;

(च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन पर संदेय फीस ;

(छ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील के लिए परिसीमा की अवधि, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जाएगी और उसके लिए संदेय फ़ीस और उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अपील को निपटाने के लिए प्रक्रिया ;

(ज) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन कार्यकारिणी समिति में राज्य प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट किया जाना है ;

(झ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 24 के अधीन बजट और धारा 25 के अधीन परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है ;

(ञ) वह रीति, जिससे और वह प्ररूप, जिसमें परिषद् का लेखा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बनाए रखा जाना है ;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या जिसे विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

17

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों के समय और स्थान को और उसमें कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना ;

(ख) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए व्यक्तियों को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन क्रमशः परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) निम्नलिखित के संबंध में मानक, मार्गदर्शक सिद्धांत, और स्तरमान,—

(i) धारा 12 के खंड (घ) के अधीन अध्यापक के रूप में नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं,

(ii) धारा 12 के खंड (ङ) के अधीन अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण का विनिर्दिष्ट प्रवर्ग,

(iii) धारा 12 के खंड (च) के अधीन मान्यताप्राप्त संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करना,

(iv) धारा 12 के खंड (छ) में निर्दिष्ट अध्यापक शिक्षा अर्हताओं की परीक्षाओं की बाबत स्तरमान,

(v) धारा 12 के खंड (ज) के अधीन संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन फीस और अन्य फीस,

(vi) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें और धारा 12 के खंड (ट) के अधीन अध्यापक विकास कार्यक्रम की प्रस्थापना के लिए संस्थाओं का पता लगाना ;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह रीति जिससे धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना है ;

(च) धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संस्था के समुचित कृत्यकरण के लिए अपेक्षित शर्तें और मान्यता मंजूर करने के लिए शर्तें ;

(छ) वह प्ररूप, जिसमें और वह रीति जिससे धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया जाना है ;

(ज) धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित रूप में संचालन के लिए अपेक्षित शर्तें और अनुज्ञा देने के लिए शर्तें ;

(झ) वे कृत्य, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारिणी समिति को परिषद् द्वारा सौंपे जा सकेंगे ;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक प्रक्रिया और गणपूर्ति ;

(ट) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए कार्यकारिणी समिति धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी;

(ठ) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों की संख्या ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनको संदेय भत्ते ;

(ढ) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य ;

(ण) धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता और उसके सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;

(त) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/93 REGISTERED No. DL-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915
No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

mhrd.gov.in

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th December, 1993/*Pausa* 9, 1915 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th December, 1993, and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ACT, 1993

No. 73 OF 1993

[29*th December*, 1993.]

An Act to provide for the establishment of a National Council for Teacher Education with a view to achieving planned and co-ordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the National Council for Teacher Education Act, 1993.

(*2*) It extends to the whole of India. except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means the date of establishment of the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 3;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;

(c) "Council" means the National Council for Teacher Education established under sub-section (1) of section 3;

(d) "examining body" means a University, agency or authority to which an institution is affiliated for conducting examinations in teacher education qualifications;

(e) "institution" means an institution which offers courses or training in teacher education;

(f) "Member" means a Member of the Council and includes the Chairperson and Vice-Chairperson;

(g) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Council appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 3;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under section 31;

(i) "recognised institution" means an institution recognised by the Council under section 14;

(j) "Regional Committee" means a committee established under section 20;

(k) "regulations" means regulations made under section 32;

(l) "teacher education" means programmes of education, research or training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and includes non-formal education, part-time education, adult education and correspondence education;

(m) "teacher education qualification" means a degree, diploma or certificate in teacher education awarded by a University or examining body in accordance with the provisions of this Act;

(n) "University" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and includes an institution deemed to be a University under section 3 of that Act; 3 of 1956.

(o) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Council appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 3.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL

Establishment of the Council.

3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a Council to be called the National Council for Teacher Education.

(2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

(3) The head office of the Council shall be at Delhi and the Council may, with the previous approval of the Central Government, establish regional offices at other places in India.

(4) The Council shall consist of the following Members, namely:—

(a) a Chairperson to be appointed by the Central Government;

(b) a Vice-Chairperson to be appointed by the Central Government;

(c) a Member-Secretary to be appointed by the Central Government;

(d) the Secretary to the Government of India in the Department dealing with Education *ex officio*;

(e) the Chairman, University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or a member thereof nominated by him, *ex-officio*; 3 of 1956.

(f) the Director, National Council of Educational Research and Training, *ex officio;*

(g) the Director, National Institute of Educational Planning and Administration, *ex officio;*

(h) the Adviser (Education), Planning Commission, *ex officio;*

(i) the Chairman, Central Boards of Secondary Education, *ex-officio;*

(j) the Financial Adviser to the Government of India in the Department dealing with Education, *ex officio;*

(k) the Member-Secretary, All-India Council for Technical Education, *ex officio;*

(l) the Chairpersons of all Regional Committees, *ex officio;*

(m) thirteen persons possessing experience and knowledge in the field of education or teaching to be appointed by the Central Government as under, from amongst the—

(i) Deans of Faculties of Education and Professors of Education in Universities —Four;

(ii) experts in secondary teacher education —One;

(iii) experts in pre-primary and primary teacher education —Three;

(iv) experts in non-formal education and adult education —Two;

(v) experts in the field of natural sciences, social sciences, linguistics, vocational education, work experience, educational technology and special education, by rotation, in the manner prescribed —Three;

IndiaCode

(*n*) nine Members to be appointed by the Central Government to represent the States and the Union territory Administrations in the manner prescribed;

(*o*) three Members of Parliament of whom one shall be nominated by the Chairman of the Council of States and two by the Speaker of the House of the People;

(*p*) three Members to be appointed by the Central Government from amongst teachers of primary and secondary education and teachers of recognised institutions.

(*5*) It is hereby declared that the office of the Member of the Council shall not disqualify its holder for being chosen as or for being a member of either House of Parliament.

Term of office and conditions of service of Members.

4. (*1*) The Chairperson, Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall hold office on a full-time basis.

(*2*) The term of office of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be four years, or till they complete the age of sixty years, whichever is earlier.

(*3*) The conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be such as may be prescribed.

(*4*) The term of office of Members [other than the Members specified in clauses (*a*) to (*l*) and clauses (*n*) and (*o*) of sub-section (*4*) of section 3] shall be two years or till fresh appointments are made, whichever is later, and other conditions of service of such Members shall be such as may be prescribed.

(*5*) If a casual vacancy occurs in the office of Chairperson, whether by reason of death, resignation or inability to discharge the functions of a Chairperson owing to illness or other incapacity, the Vice-Chairperson holding office as such for the time being, shall act as the Chairperson and shall, unless any other person is appointed earlier as Chairperson, hold office of the Chairperson for the remainder of the term of office of the person in whose place the said person is to so act.

(*6*) If a casual vacancy occurs in the office of the Vice-Chairperson or any other Member, whether by reason of death, resignation or inability to discharge his functions owing to illness or other incapacity, such vacancy shall be filled up by making fresh appointment and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of the office of the person in whose place such person is so appointed.

(*7*) The Chairperson shall, in addition to presiding over the meetings of the Council, exercise and discharge such powers and duties of the Council as may be delegated to him by the Council and such other powers and duties as may be prescribed.

(*8*) The Vice-Chairperson shall perform such functions as may be assigned to him by the Chairperson from time to time.

Disqualification for office of Member.

5. A person shall be disqualified for being appointed as a Member if he—

(*a*) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(*b*) is an undischarged insolvent; or

(*c*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(*d*) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or

(*e*) has in the opinion of the Central Government such financial or other interest in the Council as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a Member.

Vacation of office of Member.

6. The Central Government shall remove a Member if he—

(*a*) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 5:

Provided that no Member shall be removed on the ground that he has become subject to the disqualification mentioned in clause (*e*) of that section, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter; or

(*b*) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(*c*) is, without obtaining leave of absence from the Council, absent from three consecutive meetings of the Council; or

(*d*) in the opinion of the Central Government, has so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest:

Provided that no Member shall be removed under this clause unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Meetings of the Council.

7. (*1*) The Council shall meet at such time and places, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at such meetings) as may be provided by regulations:

Provided that the Council shall meet at least once every year.

(*2*) The Chairperson, and in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson shall preside at the meetings of the Council.

(*3*) If for any reason the Chairperson and the Vice-Chairperson, both are unable to attend any meeting of the Council, any other Member chosen by the Members present at the meeting shall preside at that meeting.

(*4*) All questions which come up before any meeting of the Council shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting and in the event of any equality of votes, the Chairperson, or in the absence of the Chairperson the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Council.

8. No act or proceeding of the Council shall be invalid merely by reason of—

(*a*) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Council; or

(*b*) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Council; or

(*c*) any irregularity in the procedure of the Council not affecting the merits of the case.

Power to co-opt.

9. (*1*) The Council may co-opt, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, not more than three persons, whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of this Act.

(*2*) The person co-opted by the Council under sub-section (*1*) for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the Council, and shall not be a Member for any other purpose.

Appointment of officers and other employees of the Council.

10. (*1*) For the purpose of enabling the Council to discharge its functions efficiently under this Act, the Council shall, subject to such regulations as may be made in this behalf, appoint (whether on deputation or otherwise) such number of officers and other employees as it may consider necessary:

Provided that the category of posts equivalent to Group 'A' posts in the Central Government shall be subject to the approval of the Central Government.

(*2*) Every officer or other employee appointed by the Council shall be subject to such conditions of service as may be determined by regulations.

Authentication of the orders and other instruments of the Council.

11. All orders and decisions of the Council shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other Member authorised by the Council in this behalf, and all other instruments issued by the Council shall be authenticated by the signature of the Member-Secretary or any other officer of the Council authorised in like manner in this behalf by the Chairperson.

CHAPTER III

FUNCTIONS OF THE COUNCIL

Functions of the Council.

12. It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and co-ordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards for teacher education and for the purposes of performing its functions under this Act, the Council may—

(*a*) undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof;

(*b*) make recommendations to the Central and State Governments, Universities, University Grants Commission and recognised institutions in the matter of preparation of suitable plans and programmes in the field of teacher education:

(*c*) co-ordinate and monitor teacher education and its development in the country;

(*d*) lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognised institutions;

(*e*) lay down norms for any specified category of courses or trainings in teacher education, including the minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents and mode of curriculum;

(*f*) lay down guidelines for compliance by recognised institutions, for starting new courses or training, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualifications;

(*g*) lay down standards in respect of examinations leading to teacher education qualifications, criteria for admission to such examinations and schemes of courses or training;

(*h*) lay down guidelines regarding tuition fees and other fees chargeable by recognised institutions;

(*i*) promote and conduct innovation and research in various areas of teacher education and disseminate the results thereof;

(*j*) examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and to suitably advise the recognised institutions;

(*k*) evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanisms for enforcing accountability on recognised institutions;

(*l*) formulate schemes for various levels of teacher education and identify recognised institutions and set up new institutions for teacher development programmes;

(*m*) take all necessary steps to prevent commercialisation of teacher education; and

(*n*) perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government.

Inspection.

13. (*1*) For the purposes of ascertaining whether the recognised institutions are functioning in accordance with the provisions of this Act, the Council may cause inspection of any such institution, to be made by such persons as it may direct, and in such manner as may be prescribed.

(*2*) The Council shall communicate to the institution the date on which inspection under sub-section (*1*) is to be made and the institution shall be entitled to be associated with the inspection in such manner as may be prescribed.

(*3*) The Council shall communicate to the said institution, its views in regard to the results of any such inspection and may, after ascertaining the opinion of that institution, recommend to that institution the action to be taken as a result of such inspection.

(4) All communications to the institution under this section shall be made to the executive authority thereof, and the executive authority of the institution shall report to the Council the action, if any, which is proposed to be taken for the purposes of implementing any such recommendation as is referred to in sub-section (3).

CHAPTER IV

RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

Recognition of institutions offering course or training in teacher education.

14. (1) Every institution offering or intending to offer a course or training in teacher education on or after the appointed day, may, for grant of recognition under this Act, make an application to the Regional Committee concerned in such form and in such manner as may be determined by regulations:

Provided that an institution offering a course or training in teacher education immediately before the appointed day, shall be entitled to continue such course or training for a period of six months, if it has made an application for recognition within the said period and until the disposal of the application by the Regional Committee.

(2) The fee to be paid along with the application under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) On receipt of an application by the Regional Committee from any institution under sub-section (1), and after obtaining from the institution concerned such other particulars as it may consider necessary, it shall,—

(a) if it is satisfied that such institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfils such other conditions required for proper functioning of the institution for a course or training in teacher education, as may be detemined by regulations, pass an order granting recognition to such institution, subject to such conditions as may be determined by regulations; or

(b) if it is of the opinion that such institution does not fulfil the requirements laid down in sub-clause (a), pass an order refusing recognition to such institution for reasons to be recorded in writing:

Provided that before passing an order under sub-clause (b), the Regional Committee shall provide a reasonable opportunity to the concerned institution for making a written representation.

(4) Every order granting or refusing recognition to an institution for a course or training in teacher education under sub-section (3) shall be published in the Official Gazette and communicated in writing for appropriate action to such institution and to the concerned examining body, the local authority or the State Government and the Central Government.

(5) Every institution, in respect of which recognition has been refused shall discontinue the course or training in teacher education from the end of the academic session next following the date of receipt of the order refusing recognition passed under clause (b) of sub-section (3).

(6) Every examining body shall, on receipt of the order under sub-section (4),—

(a) grant affiliation to the institution, where recognition has been granted; or

(b) cancel the affiliation of the institution, where recognition has been refused.

Permission for a new course or training by recognised institution.

15. (1) Where any recognised institution intends to start any new course or training in teacher education, it may make an application to seek permission therefor to the Regional Committee concerned in such form and in such manner as may be determined by regulations.

(2) The fees to be paid along with the application under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) On receipt of an application from an institution under sub-section (1), and after obtaining from the recognised institution such other particulars as may be considered necessary, the Regional Committee shall,—

(a) if it is satisfied that such recognised institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory, and that it fulfils such other conditions required for proper conduct of the new course or training in teacher education, as may be determined by regulations, pass an order granting permission, subject to such conditions as may be determined by regulation; or

(b) if it is of the opinion that such institution does not fulfil the requirements laid down in sub-clause (a), pass an order refusing permission to such institution, for reasons to be recorded in writing:

Provided that before passing an order refusing permission under sub-clause (b), the Regional Committee shall provide a reasonable opportunity to the institution concerned for making a written representation.

(4) Every order granting or refusing permission to a recognised institution for a new course or training in teacher education under sub-section (3), shall be published in the Official Gazette and communicated in writing for appropriate action to such recognised institution and to the concerned examining body, the local authority, the State Government and the Central Government.

Affiliating body to grant affiliation after recognition or permission by the Council.

16. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no examining body shall, on or after the appointed day,—

(a) grant affiliation, whether provisional or otherwise, to any institution; or

(b) hold examination, whether provisional or otherwise, for a course or training conducted by a recognised institution,

unless the institution concerned has obtained recognition from the Regional Committee concerned, under section 14 or permission for a course or training under section 15.

Contravention of provisions of the Act and consequences thereof.

17. (*1*) Where the Regional Committee is, on its own motion or on any representation received from any person, satisfied that a recognised institution has contravened any of the provisions of this Act, or the rules, regulations, orders made or issued thereunder, or any condition subject to which recognition under sub-section (*3*) of section 14 or permission under sub-section (*3*) of section 15 was granted, it may withdraw recognition of such recognised institution, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the recognised institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making representation against the proposed order has been given to such recognised institution:

Provided further that the order withdrawing or refusing recognition passed by the Regional Committee shall come into force only with effect from the end of the academic session next following the date of communication of such order.

(*2*) A copy of every order passed by the Regional Committee under sub-section (*1*),—

(*a*) shall be communicated to the recognised institution concerned and a copy thereof shall also be forwarded simultaneously to the University or the examining body to which such institution was affiliated for cancelling affiliation; and

(*b*) shall be published in the Official Gazette for general information.

(*3*) Once the recognition of a recognised institution is withdrawn under sub-section (*1*), such institution shall discontinue the course or training in teacher education, and the concerned University or the examining body shall cancel affiliation of the institution in accordance with the order passed under sub-section (*1*), with effect from the end of the academic session next following the date of communication of the said order.

(*4*) If an institution offers any course or training in teacher education after the coming into force of the order withdrawing recognition under sub-section (*1*), or where an institution offering a course or training in teacher education immediately before the appointed day fails or neglects to obtain recognition or permission under this Act, the qualification in teacher education obtained pursuant to such course or training or after undertaking a course or training in such institution, shall not be treated as a valid qualification for purposes of employment under the Central Government, any State Government or University, or in any school, college or other educational body aided by the Central Government or any State Government.

Appeals.

18. (*1*) Any person aggrieved by an order made under section 14 or section 15 or section 17 of the Act may prefer an appeal to the Council within such period as may be prescribed.

(*2*) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor, if the appellant satisfies the Council that he

had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(3) Every appeal made under this section shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(4) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed:

Provided that before disallowing an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity to represent its case.

(5) The Council may confirm or reverse the order appealed against.

CHAPTER V

BODIES OF THE COUNCIL

Executive Committee.

19. (1) The Council shall constitute a Committee, called the Executive Committee for discharging such functions as may be assigned to it by the Council or as may be determined by regulations.

(2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:—

(a) the Chairperson;

(b) the Vice-Chairperson;

(c) the Member-Secretary;

(d) the Secretary to the Government of India in the Department dealing with Education, *ex officio*;

(e) the Secretary, University Grants Commission, *ex officio*;

(f) the Director, National Council of Educational Research and Training, *ex-officio*;

(g) the Financial Adviser to the Government of India in the Department dealing with Education, *ex-officio*;

(h) four experts in teacher education to be nominated by the Central Government;

(i) four State representatives to be nominated by the Central Government in such manner as may be prescribed;

(j) the Chairpersons of the Regional Committees.

(3) The Chairperson and the Member-Secretary of the Council shall respectively, function as the Chairperson and the Member-Secretary of the Executive Committee.

(4) The Chairperson or in his absence, the Vice-Chairperson of the Council shall preside at the meetings of the Executive Committee and in the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.

(5) The quorum necessary for the transaction of business at the meetings of the Executive Committee shall be as laid down by regulations.

(6) The Executive Committee may co-opt, in such manner and for such purposes, as may be determined by regulations, not more than two persons whose assistance and advice, it may desire in carrying out any of the functions assigned to the Executive Committee:

Provided that the persons co-opted by the Executive Committee for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the Executive Committee, and shall not be a member for any other purpose.

(7) The Council may, if it considers necessary, establish such other committees, for such specific purpose, as it may deem fit.

Regional Committees.

20. (1) The Council shall, by notification in the Official Gazette, establish the following Regional Committees, namely:—

(i) the Eastern Regional Committee;

(ii) the Western Regional Committee;

(iii) the Northern Regional Committee; and

(iv) the Southern Regional Committee.

(2) The Council may, if it considers necessary, establish with the approval of the Central Government, such other Regional Committees as it may deem fit.

(3) The Regional Committee shall consist of the following members, namely:—

(a) a Member to be nominated by the Council;

(b) one representative from each of the States and the Union territories of the region, to be nominated by the respective States and the Union territories;

(c) such number of persons, having special knowledge and experience in matters relating to teacher education, as may be determined by regulations.

(4) The Council shall nominate one of the members of the concerned Regional Committee to function as the chairperson of the said Committee.

(5) The term of office of the members referred to in clause (c) and the allowances payable to such members shall be such as may be determined by regulations.

(6) The Regional Committee shall, in addition to its functions under sections 14, 15 and 17, perform such other functions, as may be assigned to it by the Council or as may be determined by regulations.

(7) The functions of, the procedure to be followed by, the territorial jurisdiction of, and the manner of filling casual vacancies among members of, a Regional Committee shall be such as may be determined by regulations.

Power to terminate the Regional Committee.

21. (*1*) If the Council is of the opinion that a Regional Committee is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause, failed to comply with any direction issued by the Council for carrying out the provisions of this Act, the Council may, by notification in the Official Gazette, terminate forthwith the Regional Committee.

(*2*) Upon the publication of a notification under sub-section (*1*),—

(*a*) all members of the Regional Committee shall, notwithstanding that their term of office had not expired, as from the date of the termination, vacate their office as such members; and

(*b*) all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act be exercised or performed by or on behalf of the Regional Committee shall, during the period when the term of office of its members stand terminated, be exercised and performed by such person or persons as the Council may direct.

(*3*) The Council may at any time after publication of a notification under sub-section (*2*), re-constitute the Regional Committee in the manner provided in sub-section (*3*) of section 20:

Provided that it shall be competent for the Council to appoint any person, who was a member of a Regional Committee which was terminated, as a member of the re-constituted Regional Committee.

CHAPTER VI

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

Payment to the Council.

22. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Council under this Act.

Fund of the Council.

23. (*1*) The Council shall have its own fund; and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Central Government or a State Government and all the receipts of the Council, including any sum which any other authority or person in India or abroad may pay to the Council, shall be credited to the fund and all payments by the Council shall be made therefrom.

(*2*) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may be decided by the Council.

(*3*) The Council may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Council.

Budget of the Council.

24. The Council shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure, and copies thereof shall be forwarded to the Central Government.

Annual report.

25. The Council shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall

be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

Accounts and audit.

26. (*1*) The Council shall cause to be maintained such books of account in such form and in such manner as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

(*2*) The Council shall, as soon as may be, after closing its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form and forward the same to the Comptroller and Auditor-General of India by such date as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General, determine.

(*3*) The accounts of the Council shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such times and in such manner as he thinks fit.

(*4*) The accounts of the Council as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Delegation of powers and functions.

27. The Council may, by general or special order in writing, delegate to the chairperson or to any other member or to any officer of the Regional Committee, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the power to make regulations under section 32), as it may deem necessary.

Protection of action taken in good faith.

28. No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the Council or any committees appointed by it, or any Member of the Council or member of such committees, or any officer or employee of the Central Government or the Council or any other person authorised by that Government or the Council, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Directions by the Central Government.

29. (*1*) The Council shall, in the discharge of its functions and duties under this Act be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time.

(*2*) The decision of the Central Government as to whether a question is one of policy or not shall be final.

Power to supersede the Council.

30. (*1*) If the Central Government is of the opinion that the Council is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause, failed to comply with any direction issued by the Central Goevrnment under section 29, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Council for such period as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Central Government shall give a reasonable opportunity to the Council to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanation and objections, if any, of the Council.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (*1*) superseding the Council—

(*a*) all the Members of the Council shall, notiwithstanding that their term of office had not expired, as from the date of supersession, vacate their offices as such Members;

(*b*) all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Central Government may direct;

(*c*) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the Central Government.

(3) On the expiry of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (*1*), the Central Government, may—

(*a*) extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary; or

(*b*) re-constitute the Council in the manner provided in section 3.

Power to make rules.

31. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namey:—

(*a*) the manner in which the Central Government is to appoint experts to the Council under sub-clause (*v*) of clause (*m*) of sub-section (*4*) of section 3;

(*b*) the manner in which the Central Government is to appoint Members to the Council from amongst the States and the Union terrority Administrations under clause (*n*) of sub-section (*4*) of section 3;

(*c*) the conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary under sub-section (*3*) and of Members under sub-section (*4*) of section 4;

(*d*) the powers and duties of the Chairperson under sub-section (*7*) of section 4;

(*e*) the manner in which and the persons by whom the inspection of an institution is to be made and the manner in which the institution is to be associated in such inspection under sub-section (*1*) and (*2*) of section 13;

(*f*) the fees payable on application for obtaining recognition under sub-section (*2*) of section 14 and for obtaining permission under sub-section (*2*) of section 15;

(*g*) the period of limitation for an appeal under sum-section (*1*) of section 18, the form in which such appeal is to be made and the fees payable therefor under sub-section (*3*) of that section and the procedure for disposal of an appeal under sub-section (*4*) of that section;

(*h*) the manner in which the Central Government is to nominate the State representatives in the Executive Committee under clause (*i*) of sub-section (*2*) of section 19;

(*i*) the form in which and the time within which the budget under section 24 and the annual report under section 25 of the Council is to be prepared;

(*j*) the manner and the form in which the accounts of the Council are to be maintained under sub-section (*1*) of section 26;

(*k*) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

Power to make regulations.

32. (*1*) The Council may, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, generally to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the time and the place of the meetings of the Council and the procedure for conducting business thereat under sub-section (*1*) of section 7;

(*b*) the manner in which and the purposes for which persons may be co-opted by the Council under sub-section (*1*) of section 9;

(*c*) the appointment and terms and conditions of service of officers and other employees of the Council under sub-section (*1*) and (*2*) respectively of section 19;

(*d*) the norms, guidelines and standards in respect of—

(*i*) the minimum qualifications for a person to be employed as a teacher under clause (*d*) of section 12;

(*ii*) the specified category of courses or training in teacher education under clause (*e*) of section 12;

(*iii*) starting of new courses or training in recognised institutions under clause (*f*) of section 12;

(*iv*) standards in respect of examinations leading to teacher education qualifications referred to in clause (*g*) of section 12;

(*v*) the tuition fees and other fees chargeable by institutions under clause (*h*) of section 12;

35

(*vi*) the schemes for various levels of teachers education and identification of institutions for offering teacher development programmes under clause (*l*) of section 12;

(*e*) the form and the manner in which an application for recognition is to be submitted under sub-section (*1*) of section 14;

(*f*) conditions required for the proper functioning of the institution and conditions for granting recognition under clause (*a*) of sub-section (*3*) of section 14;

(*g*) the form and the manner in which an application for permission is to be made under sub-section (1) of section 15;

(*h*) conditions required for the proper conduct of a new course or training and conditions for granting permission under clause (*a*) of sub-section (*3*) of section 15;

(*i*) the functions which may be assigned by the Council to the Executive Committee under sub-section (*1*) of section 19;

(*j*) the procedure and the quorum necessary for transaction of business at the meetings of the Executive Committee under sub-section (*5*) of section 19;

(*k*) the manner in which and the purposes for which the Executive Committee may co-opt persons under sub-section (F) of section 19;

(*l*) the number of persons under clause (*c*) of sub-section (*3*) of section 20;

(*m*) the term of office and allowances payable to members under sub-section (*5*) of section 20;

(*n*) additional functions to be performed by the Regional Committee under sub-section (*6*) of section 20;

(*o*) the functions of the procedure to be followed by the territorial jurisdiction of, and the manner, of filling casual vacancies among members of a Regional Committee under sub-section (7) of section 20;

(*p*) any other matter in respect of which provision is to be, or may be, made by regulations.

Rules and regulations to be laid before Parliament.

33. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or amulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Power to remove difficulties.

34. (*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made uder this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(*2*) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993.

12037/6-2-96

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

12 01451

Received from GOI Publications
Union 16/8/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 1995/आषाढ़ 19, 1917
No. 401] NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1995/ASADHA 19, 1917

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1995

का. आ. 620(अ).—राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1995 वह तिथि निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. 61-37/94-डेस्क (टी.ई.)]

डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

1666GI/95

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54